न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 73/11 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2011/00099

उनवान

1. पीतम सिंह
2. नवल सिंह

} पिस0 लखन सिंह जाति फौजदार नि0 हींगोली तहसील कुम्हेर जिला डीग।

........................अपीलांट।

बनाम

1. धर्म सिंह
2. लक्ष्मण

} पिसरान मोहन सिंह जाति जाट नि0 बांसरोली तहसील कुम्हेर जिला डीग।

.... रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्हेर दि0 22.07.2011 मि.नं. 117/08 उनवान धर्म सिंह बनाम पीतम।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विजय सिंह कुंतल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक–27.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्हेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 8 रकवा 2.73 है0 वाके ग्राम हींगोली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर के 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिससे के वादीगण रैस्पो0 के पिता मोहन सिंह खातेदार काश्तकार काबिज हैं। तथा वादीगण रैस्पो0 के पिता मोहन सिंह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जमाबन्दी संवत 2009 लगायत 12 में निस्फ हिस्से पर मालिक दर्ज हैं। उनके पिता के देहान्त होने पर उनकी नाबालिगी में इन्तकाल नम्बर 55 दिनांक 05.06.1949 को स्वीकृतक किया गया। इस प्रकार स्व0

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मोहन सिंह पिता वादीगण रैस्पो0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय स्वयं विवादित आराजीयात के आधे हिस्से के अल्पवयस्क मालिक काश्तकार काबिज रहे हैं। परन्तु प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर वादीगण के पिता की नाबालिगी का फायदा उठाने की नीयत से विवादित आराजी पर खुदकाश्त/गैरमौरूसी/मौरूसी खेत के इन्द्राज अपने नाम करा लिये। उक्त गलत इन्द्राजो को जब वादीगण रैस्पो0 ने सही कराने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित खण्ड संख्या 01 में प्रतिवादीगण अपीलाण्ट संख्या 01 के नाम अंकित 1/3 हिस्सा में से 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण के हो रहे गलत इन्द्राजो को कलमजन कर उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर काबिले खारिजी है। यह है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का कोई मौका नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से पारित हुआ है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय से कोई सम्मन/नोटिस जारी नहीं हुआ। सम्मन पर जो अपीलाण्ट के हस्ताक्षर हैं वह अपीलाण्ट के हस्ताक्षरो से मेल नहीं खाते। रैस्पो0 ने तामील कुनन्दा से साज कर अपीलाण्ट के फर्जी हस्ताक्षर कराये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.04.2009 के द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हुयी है। इससे पूर्व आदेशिकाओ में प्रकरण तलवी में विचाराधीन था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत हुये। एक भी दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराया अतः बिना प्रदर्श कराये उन्हें साक्ष्य में पढा नहीं जा सकता। जमाबन्दी संवत 2009 अप्रमाणित है। मिलान क्षेत्रफल भी फोटो प्रति है। नामान्तकरण संख्या 55 जो प्रस्तुत हुआ है वह विवादित आराजी से संबंधित नहीं है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से दावा प्रमाणित नहीं होता है। विवादित आराजी को रैस्पो0 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विवादित आराजी के पूर्व खातेदार बदन सिंह, बादाम सिंह, बद्री व परसादी के वारिसान से 1/3 हिस्सा क्रय किया है। रैस्पो0 ने विक्रेताओ को दावे में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। न्यायालय हाजा में अपीलाण्ट ने नामान्तकरण प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट के नाम विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रैस्पो0 ने तथ्यो को छुपाते हुये, एक पक्षीय रूप से दावा डिक्री कराया है। रैस्पो0 ने विवादित आराजी पर अपने कब्जे बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। बल्कि अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। वयनामा को निरस्त कराने का अधिकार भी राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को है। जब अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे तो तथ्य को सिद्ध करने में निष्फल कैसे रह सकते हैं। वादी को तो अपने दावे को सिद्ध करना पडेगा। प्रतिवादी की किसी भी कमी का वादी फायदा नहीं उठा सकता। नामान्तकरण साफ दर्शा रहा है कि विवादित आराजी अपीलाण्ट को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा से प्राप्त हुयी है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2022(1) पेज 184, 2023(1) पेज 645, 641 2003(2) पेज 1090, 2014(1) पेज 695, 2019(1) पेज 768, एआईआर 2011 पेज 2344, सीटी 2012(2) पेज 426 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को विधिवत सम्मन जारी किये हैं एवं अपीलाण्ट पर ही तामील हुये हैं। अपीलाण्ट जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। तत्पश्चात् अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। फर्जी हस्ताक्षर हो रहे हैं ऐसा कोई प्रमाण अपीलाण्ट ने प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का उचित अवसर दिया है। स्वयं बाबजूद तामील उपस्थित नहीं हुये, अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। तामील मानने पर चुनौती, अपीलीय न्यायालय में नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 में कार्यवाही करते। अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये वह लोक दस्तावेज हैं। प्रदर्श डालना न्यायालय की जिम्मेदारी है। पढने से कैसे मना कर सकते हैं। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में ना तो उपस्थित रहे हैं एवं ना ही जवाब दावा ही प्रस्तुत किया। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में संवत 2009 से 2012 की जमाबन्दी प्रस्तुत की है। दावे की मद संख्या 03 में सारे तथ्य अंकित किये हैं। रैस्पो0 के पिता विवादित आराजी में 1/2 हिस्से के खातेदार थे। नामान्तकरण संख्या 55 में रैस्पो0 के पिता का नाम उल्लेखित है। दिनांक 15.11.1959 से पहले कोई जमाबन्दी में खुदकाश्त है तो अपने नाम ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जावेंगें। अपीलाण्ट के द्वारा आराजी खरीदने से कोई अंतर नहीं पडता। रैस्पो0 को खातेदारी अधिकार ही नहीं मिले तो विक्रय से कोई फर्क नहीं पडता। अपील स्तर पर नई दस्तावेजी साक्ष्य पर बहस नहीं कर सकते। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तामील शुदा सम्मन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 के सम्मन पीतम ने प्राप्त किये हैं। परन्तु उक्त दोनों सम्मनो पर पीतम के हस्ताक्षरो में भिन्नता है। एक सम्मन पर पीतम अंकित है एवं दूसरे सम्मन पर पतम अंकित है। अपील मीमो में अंकित पीतम के हस्ताक्षरो से भी सम्मन पर अंकित हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया सिद्व है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला। गुणावगुण पर हम पाते हैं। अपील में प्रस्तुत वयनामा की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलाण्ट ने बदन सिंह पुत्र बुद्धी व बादाम सिंह पुत्र परसादी से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है एवं नामान्तकरण संख्या 116 से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलाण्ट को रजिस्टर्ड वयनामा से प्राप्त हुयी है। परन्तु रैस्पो0 ने दावे में ना तो विक्रेताओ को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है एवं ना ही उक्त वयनामा को अपने हिस्से तक बातिल व बेअसर कराने का ही अनुतोष चाहा गया है एंव ना ही उक्त वयनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त ही कराया गया है। इस प्रकार वादी रैस्पो0 ने तथ्यो को छुपाते हुये, दावा स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित आराजी पर कब्जे बाबत् भी रैस्पो0 ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं वह भी फोटो प्रति हैं। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर प्रदर्श नहीं डाला, बिना प्रदर्श डाले किसी भी दस्तावेज को साक्ष्य में नहीं पढा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान ना देते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसे किसी प्रकार विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर हस्तगत प्रकरण पर पूर्णरूपेण चस्पा होती हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2011 अपास्त किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

27-02-2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 73/11 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :— 2011/00099
उनवानी :—

1. पीतम सिंह
2. नवल सिंह
} पिस0 लखन सिंह जाति फौजदार नि0 हींगोली तहसील कुम्हेर जिला डीग।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. धर्म सिंह
2. लक्ष्मण
} पिसरान मोहन सिंह जाति जाट नि0 बांसरोली तहसील कुम्हेर जिला डीग।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्हेर दि0 22.07.2011 मि. नं. 117/08 उनवान धर्म सिंह बनाम पीतम।

यह अपील ....27.............माह........02.............सन्.......2024.........व हमारे .....श्री विजय सिंह कुंतल एड. ...... मिनजानिब अपीलाण्ट , रैस्पोडेण्ट श्री महाराज सिंह डागुर समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... **अपील अपीलण्ट स्वीकार की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2011 अपास्त किये जाते है।
(खर्चा अपील................का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग..............) रूपये..................
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का...अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........27...........माह.........02........सन्..........2024.........को जारी की गई।

27.02.2024
(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।